राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 16738/2019

श्रीमती सरिता पुत्री श्री रामनिवास पत्नी श्री सुभाष चंद्र, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी- गाँव भामरा, तहसील तारानगर, जिला चुरू (राजस्थान)-----याचिकाकर्ता।

बनाम

1. सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, राजस्थान राज्य, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान (एस. आई. एच. एफ. डब्ल्यू), झालाना संस्थागत क्षेत्र, जयपुर।

3. परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशालय, स्वास्थ्य भवन, सी-योजना, तिलक मार्ग, चुरू।

4. मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, चुरू।

5. पंजीयक, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सीएसकेम, जयपुर के माध्यम से----उत्तरदाता।

याचिकाकर्ताओं के लिए:- श्री मुकेश व्यास।

प्रत्यर्थी (ओं) के लिए:- श्री लकी राजपुरोहित।

माननीय न्यायाधीश श्री अरुण मोंगा

आदेश

11/01/2024

1.विज्ञापन (अनुलग्नक 2) के अनुसार, सहायक नर्स और मिडवाइफरी (ए. एन. एम.) के पद के लिए चयन प्रक्रिया में असफल होने के कारण, याचिकाकर्ता इस अदालत के समक्ष अपनी अस्वीकृति को चुनौती देते हुए दावा करती है कि वह अपनी श्रेणी में अंतिम चयनित उम्मीदवार की तुलना में अधिक योग्य है।

2. पहले प्रासंगिक तथ्यों का उल्लेख किया जाये। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अनुबंध के आधार पर ए. एन. एम. सहित नर्सिंग और पैरामेडिकल कर्मचारियों के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हुए दिनांक 28.01.2016 को एक विज्ञापन जारी किया। विज्ञापन (अनुलग्नक 2) के अनुसार, ए. एन. एम. के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास माध्यमिक परीक्षा की शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए और ए. एन. एम. प्रशिक्षण/महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अर्हता प्राप्त होनी चाहिए और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि यानी 12.02.2016 को राजस्थान नर्सिंग परिषद के साथ "बी" ग्रेड नर्स के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।

2.1. याचिकाकर्ता ने दिसंबर, 2014 के महीने में अपना ए. एन. एम. ए. पाठ्यक्रम पूरा किया और 13.05.2016 को पंजाब नर्स पंजीकरण परिषद से सहायक नर्स और मिडवाइफ के रूप में अपना पंजीकरण प्राप्त किया।

2.4 इसके बाद, याचिकाकर्ता ने 17.05.2016 को प्रतिवादी संख्या 5 यानी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के साथ ए. एन. एम. के रूप में पंजीकरण के लिए एक आवेदन दायर किया। इसके बाद, याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा 18.11.2016 को आवश्यक पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया था। विज्ञापन (अनुलग्नक 2)

के अनुसार याचिकाकर्ता के पास सभी आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएँ होने के कारण उसने ए. एन. एम. के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया और प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किया।

2.5 याचिकाकर्ता ने विधिवत ऑनलाइन परीक्षा में भाग लिया, जो 28.02.2016 को आयोजित होने वाली थी, और परिणाम प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा घोषित किया गया था। याचिकाकर्ता ने 99.796% अंक प्राप्त किए और इस प्रकार उसे सफल घोषित किया गया, राज्य स्तर की योग्यता सूची में 21वां स्थान और जिला चुरू की योग्यता सूची में दूसरा स्थान हासिल किया, लेकिन फिर भी उसे कट ऑफ तिथि से पहले पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया।

2.6. इसलिए यहां याचिका दायर की गई है।

3. मामले की सुनवाई की गयी।

4. याचिकाकर्ता का स्वीकृत मामला यह है कि उसने सहायक नर्स और मिडवाइफ (ए. एन. एम.) के रूप में पंजीकरण के लिए 17.05.2016 यानी कट-ऑफ तिथि जो कि 28.02.2016 है, के तीन महीने बाद आवेदन किया।

5. सुनवाई के दौरान, अदालत के एक प्रश्न पर, कि अकेले याचिकाकर्ता को कट-ऑफ तिथि के बाद आवेदन करने और उन उम्मीदवारों आगे निकलने का विशेषाधिकार कैसे दिया जा सकता है जो कट-ऑफ तिथि के बाद पात्र हो गए होंगे, लेकिन पहले आवेदन नहीं कर सकते थे, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया कि वास्तव में याचिकाकर्ता ने देर से आवेदन किया था और रिट याचिका में इसके लिए कोई औचित्य नहीं दिया गया है।

6. ऐसा होने के कारण, मुझे हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है। मेरे विद्वान भाई डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी, जे. की

अध्यक्षता में एक संपार्श्विक रिट कार्यवाही (एस. बी. सी. डब्ल्यू. पी. संख्या13299/2017 और अन्य संबंधित मामलों) में एक समन्वित पीठ द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर कट-ऑफ तिथि निर्धारित की गई थी। जिसमें इस न्यायालय की ओर से बोलते हुए यह अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार निर्देशित किया गया थाः -

"13. इस प्रकार, उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में वर्तमान याचिकाओं का निपटारा उत्तरदाताओं को एक निर्देश के साथ किया जाता है कि वे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ए. एन. एम. के पद के लिए पात्र याचिकाकर्ताओं को अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित शर्तों पर दिनांक 28.02.2016 के विज्ञापन से उत्पन्न होने पर विचार करें।

(क) जिन याचिकाकर्ताओं ने 28.02.2016 को या उससे पहले पंजीकरण के लिए आवेदन किया है, उन्हें जहां तक पंजीकरण की शर्त का संबंध है, पात्र माना जाएगा और उन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी और उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार नियुक्ति दी जाएगी।

(ख) हालांकि शर्त संख्या (क) लागू होगी यदि उम्मीदवारों के पास 02.02.2017 को या उससे पहले प्रमाण पत्र है, जो सत्यापन की तारीख है। इस प्रकार, दोनों शर्तों में, याचिकाकर्ताओं के पास 28.2.2016 से पहले पंजीकरण रसीद (जिसका अर्थ राजस्थान नर्सिंग परिषद में है) होनी चाहिए और साथ ही साथ 02.02.2017 को या उससे पहले प्रमाण पत्र होना चाहिए।

7. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

8. रिट याचिका को ख़ारिज किया जाता है।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।